

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 3201 / 12-1 (1)
सेवा में,

दिनांक, देहरादून, जून, 29 2016

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर वन कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय: जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत त्यूनी-चांदनी-प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 15.850किमी) हेतु 4.94 हे० वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम), 1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैरवानिकी कार्य हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक ।

संदर्भ: **FP/UK/ ROAD/ 16879 / 2015**
महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता ने अपने कार्यालय पत्रांक 4796 / 12-1 दिनांक 17-5-2016 के द्वारा जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत त्यूनी-चांदनी-प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 15.850 कि०मी०) हेतु अपेक्षित 4.94 हे० वन भूमि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित मोटर मार्ग में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई मीटर	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं, की संख्या
1	2	3	4	5	6
चकराता वन प्रभाग / देवधार रेंज	आरक्षित वन भूमि चांदनीगाड़ वन ब्लॉक-4	375 X 7	0.2625	0	बांज वृक्ष नहीं हैं
	आरक्षित वन भूमि मुराच कं० नं० -8	1250 X 7	0.8750	35	बांज वृक्ष नहीं हैं
	सिविल वन भूमि ग्राम डेरसा तथा प्यूनल	4225 X 9	3.8025	188	69 वृक्ष बांज बाधित
	योग वन भूमि	5850	4.94	223	69
चकराता वन प्रभाग / देवधार रेंज	नाप भूमि- ग्राम ब्यूलोग, डेरसा तथा प्यूनल	10000 X 9	9.000	0	0
	कुल योग वन भूमि		4.94	223	69

प्रस्तावित मार्ग में वांछित वन भूमि में कुल 233 वृक्ष बाधित हैं, जिसमें सिविल वन भूमि में 69 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं। बांज प्रजाति के वृक्षों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता श्री दिवाकर सिन्हा के साथ दिनांक 26 जून 2016 को किया गया है। बांज के वृक्षों की निरीक्षण टिप्पणी संलग्न प्रपत्र- III के आगे दी जा रही है।

चकराता वन प्रभाग, चकराता की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र- III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। उक्त की हार्ड प्रति अलग से भी प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि ।

संख्या

(1) /

उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड हरिद्वार (पी०एम०जी०एस०वाई) मुख्यालय कालसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वन संरक्षण, देहरादून ।

भाग-III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम—जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत त्यूनी—चांदनी—प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण लम्बाई (लम्बाई 15.850किमी) हेतु 4.94 है० वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम),1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैरवानिकी कार्य हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक।

क्र०सं० 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी, हां, प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में बाधित हो रहे बांज वृक्षों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता श्री दिवाकर सिन्हा के साथ दिनांक 26 जून 2016 को किया गया।
क्र०सं० 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्र०सं० 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	मार्ग के निर्माण की संस्तुति की जाती है तथा निरीक्षण टिप्पणी में उल्लेख किया जा रहा है।

दिनांक 29 जून, 2016
स्थान — देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम — (आर०के०मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

जनपद—

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत त्यूनी-चांदनी-प्यूनल मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 15.850किमी) हेतु 4.94 हे० वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम),1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैरवानिकी कार्य हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक।

चकराता वन प्रभाग ,चकराता

भूमि का प्रकार	रेंज / ब्लाक	बाधित बाँज वृक्षों का ब्यास वर्ग वार विवरण									
		0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	योग
सिविल भूमि डेरसा	देवघा रेंज सिविल भूमि डेरसा	0	16	16	3	0	0	0	0	0	35
सिविल भूमि प्यूनल	देवघा रेंज प्यूनल	0	17	12	5	0	0	0	0	0	34
	योग	0	33	28	8	0	0	0	0	0	69

आरक्षित एवं सिविल वन भूमि में बाँज से अतिरिक्त वृक्षों का विवरण

भूमि का प्रकार	रेंज / ब्लाक	बाँज से अतिरिक्त अन्य प्रजाति के वृक्ष जो बाधक है, की संख्या										
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90से ऊपर	योग
आरक्षित वन भूमि	देवघा रेंज मुराच कं० नं० 8बी चीड़	4	6	7	4	6	0	1	0	3	4	35
सिविल भूमि	देवघा रेंज डेरसा चीड़,बुरांश,कैल देवदार सुरई	2	23	44	29	5	3	0	0	0	0	106
सिविल भूमि	देवघा रेंज खत सिविल भूमि प्यूनल कैल,देवदार	0	6	6	1	0	0	0	0	0	0	13
	योग	6	35	57	34	11	3	1	0	3	4	154

प्रस्तावित मार्ग का समरेखण जो वन भूमि लम्बाई 5.850 किमी से होकर जा रहा है, के समरेखण में 223 वृक्ष बाधित हैं,जिसमें 69 वृक्ष बाँज प्रजाति वृक्ष के बाधित सम्मिलित हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बाधित बाँज वृक्षों का स्थलीय निरीक्षण श्री दिवाकर सिन्हा, प्रभागीय वनाधिकारी,चकराता वन प्रभाग, चकराता के साथ दिनांक 26 जून, 2016 को किया गया है।

प्रस्तावित मार्ग के निर्माण होने से ग्राम ब्यूलो, डेरसा तथा प्यूनल के ग्रामवासी मुख्य मार्ग से जुड़ जायेंगे। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु जनहित में वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु वांछित वन भूमि हस्तान्तरण हेतु संस्तुति की जाती है।

(आर०के०मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड,देहरादून ।